आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
27/3/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 67/2012** **दीनेश्वर प्रसाद राय बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 4648/2013 दीनेश्वर प्रसाद राय बनाम राज्य एवं अन्य को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 444 दिनांक 12.6.12 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर के द्वारा दिनांक 2.4.12 को दिनेश्वर प्रसाद राय, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत–गोविन्दचक, सोनपुर के दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षणोपरान्त निम्नांकित अनियमितताएँ प्रतिवेदित किया गया: 1. जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा राशन कार्ड पर मात्रा अंकित नहीं किया जाता है। 2. भंडार एवं वितरण पंजी नियमानुसार संधारित नहीं पाया गया है। 3. वजन एवं माप तौल का उपकरण सत्यापित नहीं पाया गया। 4. जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को राशन/किरासन तेल का कैशमेमो नहीं दिया जाता है। 5. हदीश मियां, पे0–हमिद मियां, अन्त्योदय कूपन सं0 0074807, चॉद मुहम्मद, पीला कूपन सं0 74868, नवीसा खातून, कलावती देवी, पति–जवाहर प्रसाद, पीला कूपन सं0 74858 तथा सुमित्रा देवी, कूपन सं0 74857 ने बताया कि अन्त्योदय कूपन पर 25 किलो खाद्यान्न दिया जाता है, जो निर्धारित मात्रा से	

कम है एवं कीमत ज्यादा लिया जाता है तथा विक्रेता द्वारा व्यवहार भी अच्छा नहीं किया जाता है।

6. अमरनाथ चौधरी, वी.पी.एल. कूपन सं0 264804 तथा अन्य उपस्थित कूपनधारियों ने भी बताया कि विक्रेता के द्वारा निर्धारित मात्रा से कम राशन निर्धारित दर से अधिक कीमत पर दिया जाता है।

उक्त अनियमितता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी। विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर से मन्तव्य की मॉग की गयी। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन एवं मन्तव्य के आलोक में विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए अनियमितताओं के आलोक में विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि ग्राम पंचायत राज गोविन्दचक के उक्त विक्रेता के द्वारा प्रत्येक माह कूपन प्राप्त कर राशन–किराशन का नियमित वितरण सही मात्रा एवं दर पर किया जाता है एवं सही ढॅग से संबंधित पंजियों का संधारण भी किया जाता है, लेकिन फरवरी 2012 में अपने लड़का के सड़क दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो जाने के कारण उस माह में पंजी संधारण में कुछ विलम्ब इनके द्वारा हो गया। अपने जवाब के साथ इनके द्वारा अन्य प्रासंगिक कागजातों के साथ इनके विरूद्व शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं का इनके पक्ष में बयान अंकित करते हुए शपथ पत्र भी मूल में संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। भवदीय निदेश के आलोक में विक्रेता के द्वारा अपने पक्ष में दिए गए शपथ पत्र का सत्यापन प्रतिवेदन भी अनुज्ञापन पदाधिकारी से प्राप्त है, जिसमें यह प्रतिवेदित किया गया है कि गलतफहमी एवं स्थानीय राजनीति से प्रेरित होकर कुछ उपभोक्ताओं के द्वारा विक्रेता के विरूद्व पूर्व में शिकायत की गयी थी। वर्त्तमान में अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है। अपीलकर्त्ता के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए उनके द्वारा अनुज्ञप्ति बहाल करने हेतु अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख में संधारित कागजातों का परिसीलन किया

गया। मैं यह पाता हूँ कि विकेता के द्वारा माह फरवरी, 2012 में अपने लड़का के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण मानसिक रूप से परेशान रहने के कारण भंडार पंजी एवं वितरण पंजी का सही ढँग से संधारण नहीं किया गयाा। इस न्यायालय के दिनांक 19.10.2013 को सुनवाई के उपरान्त निर्देश दिया गया था कि अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए। जिन उपभोक्ताओं से शपथ पत्र पर बयान विकेता के पक्ष में लिया गया है, उसकी प्रमाणिकता की जॉच कर जॉच प्रतिवेदन की मॉग इस न्यायालय के ज्ञापांक 2942 दिनांक 20.11.13 के द्वारा की गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 61 दिनांक 18.2.14 के द्वारा वांछित प्रतिवेदन प्रेषित करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि कतिपय उपभोक्ताओं के द्वारा पूर्व में गलतफहमी और स्थानीय राजनीति से प्रेरित होकर बिकेता के विरूद्व शिकायत की गयी थी। जिन उपभोक्ताओं के द्वारा विकेता के विरूद्व शिकायत की गयी थी, उनके द्वारा विकेता के पक्ष में शपथ पत्र देने से उनके द्वारा लगाया गया आरोप खंडित हो जाता है। विकेता के द्वारा सम्पूर्ण राशन–किरासन का वितरण विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में प्राप्त कूपन के आधार पर करने तथा प्राप्त कूपन प्रखंड कार्यालय में जमा करने संबंधी सूचना अपने जवाब में अंकित किया गया है। इस तरह विकेता के विरूद्व कोई ऐसा ठोस आरोप/अनियमितता प्रमाणित नहीं होता है, जिससे उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द करने संबंधी आदेश को बहाल रखा जाए। अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 444 दिनांक 12.6.12 के द्वारा निर्गत आदेश भी अपने आप में मुखर नहीं है। अतः अपीलार्थी दिनेश्वर प्रसाद राय, जन वितरण प्रणाली विकेता, ग्राम पंचायत–गोविन्दचक, सोनपुर के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 643 /न्यायाल्य, दिनांक 24/4/2014

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को संबंधित LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– NIC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।